(104)

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

ज्ञापांक–6 / वि01–103 / 2004– 1155 पटना, दिनांक– 20/8/09

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता (रूपांकण एवं यांत्रिक को छोड़कर)

विषयः– विभाग द्वारा स्वीकृत ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि विभाग द्वारा स्वीकृत ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के समय जल स्रोत का सृजन ऐसे स्थान पर किया जाता है कि जिससे की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े समुदाय के लोगों को जलापूर्ति योजना का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है। सरकार की मंशा के अनुरूप विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अत्यन्त पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता देनी है।

उपर्युक्त के आलोक में निदेश है कि विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के समय जल स्रोत का चयन/निर्माण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अत्यन्त पिछड़े वर्गों के टोलों में प्राथमिकता के आधार पर करें ताकि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को पेयजलापूर्ति सुनिश्चित हो सकें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

(मदन कुमार)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–6 / वि01–103 / 2004– 1155 पटना, दिनांक– 20/8/09

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

(मदन कुमार)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–6 / वि01–103 / 2004– 1155 पटना, दिनांक– 20/8/09

प्रतिलिपिः– मुख्यालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मदन कुमार)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–6 / वि01–103 / 2004– 1155 पटना, दिनांक– 20/8/09

प्रतिलिपिः– सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मदन कुमार)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव